संख्या– 2/स्था0–01–20/2015 2480 /आ0प्र0

बिहार सरकार
**आपदा प्रबंधन विभाग**

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 2/7/15

**विषयः–** **समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।**

**प्रसंगः–** **आपका पत्र सं0–002, दिनांक–19.05.2015 एवं विभागीय पत्रांक 2125/आ0प्र0 दिनांक– 08.06.14**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग में संविदा के आधार पर 4 (चार) वाहन चालक नियुक्त है। भवदीय द्वारा माँगी गयी संशोधित सूचना कंडिवार निम्नवत् भेजी जा रही हैः–

आ0–369
03/7/15

| कंडिका | उत्तर |
|---|---|
| 1. प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम। | वाहन चालक |
| 2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत की संख्या। | कुल स्वीकृत पद–6, संविदा पर कार्यरत चालक–4, रिक्ति–2 |
| 3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी? | गैर–योजना के अंतर्गत स्वीकृत। |
| 4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ')। | समूह 'ग' |
| 5. क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश। | विभाग में चालक के कुल 6 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3 पद पूर्व से स्वीकृत थे। (स्वीकृत्यादेश सं0 89 दिनांक–12.04.2002) तथा 3 पद विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 1042 दिनांक–01.04.2011 द्वारा संविदा आधारित पद के रूप में स्वीकृत किए गए थे। बाद में स्वीकृत्यादेश सं0 4479 दिनांक–03.10.2013 द्वारा इन्हें नियमित पद के रूप में स्वीकृति दी गयी। |
| 6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नहीं? | रिक्ति के विरूद्ध हुआ था। |
| 7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी | 4 संविदा पर नियोजित चालकों के लिए प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस की छायप्रति संलग्न। |

\\Pc22-pc\d\2015\Pal sir\letter 01-06-15 spe. sec. sir.docx

| | |
|---|---|
| जाय)। | |
| 8. नियोजन हेतु चयन प्रक्रिया। | विभागीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयन हुआ था। |
| 9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता। | अष्टम उत्तीण। (लेकिन सभी मैट्रिक उत्तीर्ण है) |
| 10. क्या नियोजन कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं। | हॉं रखते थे। |
| 11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं। | हॉं, पालन हुआ है। |
| 12. नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी। | प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग |
| 13. उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति पदत्त थी अथवा नहीं। | समूह 'ग' के लिए विभागीय सचिव को शक्ति प्रदत्त है। |
| 14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए) | नियोजन पत्र की छायाप्रति संलग्न। |
| 15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि। | एक वर्ष। |
| 16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक। | कार्यकुशलता एवं अच्छा आचरण। |
| 17. प्रत्येक सेवावधि विस्तर आदेश का नमूना। | संलग्न है। |
| 18. प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि। | वर्त्तमान में 14,910/– रू0 प्रतिमाह |
| 19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी। | 2251–00–090 – सचिवालय –0017 आपदा प्रबंधन विभाग मांग संख्या 39 विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं |
| 20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों का नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ।) | तीन संविदा आधारित पदो के विरूद्ध एवं एक नियमित स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं0–2401 दिनांक–18.07.2007 एवं सं0 1718 दिनांक–06.05.2010 में निर्धारित प्रकिया के आलोक में किया गया। संकल्प की फोटो प्रति संलग्न। नियमित नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण समय–समय पर संविदा अवधि विभाग द्वारा विस्तारित की गयी है। |

(हस्ताक्षर) 2/7/15

सरकार के विशेष सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

पत्रांक –2 / स्था0–22–09 / 2008 / ..................... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार

पटना–15, दि0–

विषय : **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना में संविदा आधारित नियत वेतन पर सृजित तीन वाहन चालकों के पदों को गैर योजनान्तर्गत नियमित वेतनमान में सम्परिवर्तित एवं सृजित करने की स्वीकृति ।**

महाशय,

आपदा प्रबंधन विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है । अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार राज्य लगभग पूरे वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा / गैर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहता है । आपदाओं के कुप्रभाव के न्यूनीकरण के लिए ससमय त्वरित कार्रवाई आवश्यक है जिसके लिए जरूरी है कि विभाग में पदाधिकारियों के आवागमन के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध हों ।

विभाग में वाहन चालक के तीन पद पूर्व से ही स्वीकृत हैं तथा राज्यादेश सं0–1042 दि0–01.04.11 द्वारा संविदा के आधार पर चालक के तीन पद स्वीकृत किये गए है ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में बनने वाली नई नियमावली संबंधी बैठक में निदेश दिया गया था कि संविदा पर सृजित पदों की जगह नियमित वेतनमान में पद सृजित कराया जाय ।

तदनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन पूर्व में संविदा के आधार पर वाहन चालक के सृजित तीन पदों को गैर योजना अन्तर्गत नियमित वेतनमान पे–बैण्ड –1 (5200–20200) + ग्रेड पे रू0 1900 / – में सम्परिवर्तित एवं सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त पदो के सृजन के पश्चात् उन पर होने वाला व्यय का भुगतान गैर योजना मुख्य शीर्ष –2251, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष –00, लघु शीर्ष –090, सचिवालय उपशीर्ष –0017, आपदा प्रबंधन विभाग, मांग स0–39 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा । (वार्षिक व्यय विवरणी की प्रति संलग्न है )

उपर्युक्त पदो के नियमित वेतनमान सम्परिवर्तन के प्रस्ताव पर दिनांक –28.06.13 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है ।

राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक –27.08.13 की बैठक में मद सं0–03 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक –2/स्था0–22–09/2008/........................../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषगार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक –2/स्था0–22–09/2008/ 4479 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 3/10/13

प्रतिलिपि प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय पदाधिकारी/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/योजना एवं बजट शाखा, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/10
प्रधान सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vahan Chalak Posts Sampariwartit docx

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।